बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार

आवश्यक सूचना

लेखपाल–सह–आईटी सहायक

लेखपाल–सह–आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति विभाग द्वारा प्रमुख दैनिक अखबारों में शीघ्र जारी की जाएगी। इस संबंध में सारी सूचना आधिकारिक वेबसाइट एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचें तथा सही एवं विश्वसनीय सूचना के लिए विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निरंतर फॉलो करते रहें।

तकनीकी सहायक

मेधा सूची का निर्धारण:-

- तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेकनिक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेकनिक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे।

- मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

- प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले एक वर्ष में भरा जा सकेगा।

- रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय-समय पर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

तकनीकी सहायक

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1735 दिनांक-22.06.2006 के अनुसार अधिकतम् उम्र सीमा निम्नवत् लागू होगी।

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तकनीकी सहायक

आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाईन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक https://zp.bihar.gov.in पर करना होगा। वेबसाईट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जा सकेंगे।
- आवेदकों द्वारा भरी गयी सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर Counseling में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों द्वाराOnline आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- Online आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन/Counseling के क्रम में समानता नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थितत्व रद्द कर दिया जाएगा।
- वेबसाइट-https://zp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ-पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किये जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।